राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोरधन बनाम गुलाब देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक/लिखित बहस हेतु पत्रावली दिनांक 07/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
07/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है | अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/05/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/09/2024 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता उपस्थित रहे है, ऐसेमें उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय से नही होने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य नही रह जाते है | कानूनन दिन-प्रतिदिन की देरी को स्पष्ट किया जाना अपीलार्थी के लिये आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर तथ्यों को अंकित कर अपीलार्थी लम्बी अवधि की डिले को कन्डोन करवाने के अधिकारी नही रह जाते है | इसके अतिरिक्त अपील के स्तर पर अपीलार्थी प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीयक्षति के बिन्दुओ को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना प्रकट होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	गोरधन बनाम गुलाब देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	14/9/2025	

न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26/09/2024 यथावत रखा जाता है एवं अपील अपीलार्थी मियाद बाहर धारित कर एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

[redacted] अपील प्राधिकारी
जयपुर